Memorandum of Understanding

BETWEEN

The Ministry of New and Renewable Energy of the

Republic of India

AND

The Ministry of Public Infrastructure of the

Co-operative Republic of Guyana

ON

COOPERATION IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY

The Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India and the Ministry of Public Infrastructure of the Co-operative Republic of Guyana (hereinafter referred to as the "Parties" and individually as the Party").

Having identified New and Renewable Energy as a common area of interest; and

Desiring to establish Cooperation between the Indian and Guyanese entities with the aim of developing New and Renewable Energy Technologies,

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

ARTICLE I

OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish the basis for a cooperative institutional relationship to encourage and promote bilateral technical cooperation on new and renewable energy on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity between the Parties.

ARTICLE II

AREAS OF COOPERATION

The Parties will, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take necessary steps and promote cooperation in renewable energy. The areas of cooperation will focus on development of new and renewable energy technologies, viz.

a) Solar Energy
b) Wind Energy
c) Biomass/ Bio-energy
d) Small Hydro
e) Capacity building

ARTICLE III

MODALITIES OF COOPERATION

Cooperation under this Memorandum of Understanding may take the following modalities:

a) Exchange and training of scientific and technical personnel;
b) Exchange of available scientific and technological information and data;
c) Organization of workshops, seminars and working groups;
d) Transfer of equipment, know-how and technology on non-commercial basis;
e) Development of joint research or technical projects on subjects of mutual interest;
f) Other modalities as may be decided upon by the Parties.

ARTICLE IV
JOINT WORKING GROUP

In order to coordinate the above mentioned activities and decide upon project proposals related to design and development of new and renewable energy technologies, the Parties will establish a "Joint Working Group" (JWG) with the following functions:-

a) Identifying areas of mutual interest and cooperation for development of new and renewable energy technologies, systems sub-systems, devices, components etc.;
b) Monitoring and evaluating cooperation activities; and
c) Any other activity as may be agreed upon by the Parties in writing.

The Parties will designate one main and one alternate representative each to the Joint Working Group for the aforesaid activities. The Joint Working Group will to the extent possible conduct the work through electronic communication, but meet alternately in India and Guyana whenever considered necessary.

The Joint Working Group can co-opt other members from scientific institutions, research centres, universities or any other entity, as and when considered essential.

ARTICLE V
FINANCING

Each Party will bear all the costs of its own in all programmes of cooperation and in the meetings of implementing agencies of Joint Working Group contemplated under this MoU unless otherwise agreed by the parties.

ARTICLE VI

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute concerning the interpretation or application of this MOU shall be settled amicably through mutual consultation and / or negotiations between the Parties through regular diplomatic channels.

ARTICLE VII

AMENDMENTS

The Memorandum of Understanding can be amended, revised or modified by mutual decision of the Parties through exchange of letters between the Parties.

ARTICLE VIII

COOPERATION UNDER ISA

Both the countries appreciate and support the International Solar Alliance (ISA) launched on 30 November, 2015 on the sidelines of 21st Conference of Parties to the United Nations Framework Conference on Climate Change held in Paris, France and recognize the critical role it can play in development and deployment of solar energy.

Both the countries shall jointly work together to achieve ISA objectives for accelerated development and deployment of solar energy by facilitating availability of technologies, finances, research and development and capacity building, and also put joint efforts to make ISA a strong intergovernmental organization.

ARTICLE IX

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

This MOU shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of five (5) years. Thereafter this Memorandum of Understanding will be renewable by the mutual written consent of the Parties, unless either of the Parties decides to terminate the same. Such decisions will be communicated in writing to the other Party at least three (3) months prior to its termination. The termination of this MoU will not affect the validity and duration of any on-going programme and projects under this MoU.

IN WITNESS THERE OF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed at New Delhi on this day 30th Jan. of the year 2018 in two (2) originals, each in Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail

.....

For the Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India

.....

For the Ministry of Public Infrastructure of the Cooperative Republic of Guyana

भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

और

गुयाना कॉ–ऑपरेटिव गणराज्य के लोक अवसंरचना मंत्रालय

के बीच

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर

समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और गुयाना कॉ–ऑपरेटिव गणराज्य के लोक अवसंरचना मंत्रालय (जिन्हें इसके पश्चात् "पक्षों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा गया है)

समान हित के क्षेत्र के रूप में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की पहचान करते हुए; और

नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से भारत एवं गुयाना की कंपनियों के बीच सहयोग स्थापित करने की इच्छा रखते हुए,

निम्नलिखित समझौते पर पहुंचे हैं:

अनुच्छेद-I

उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पक्षों के बीच परस्पर लाभ, समानता और पारस्परिकता के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सहकारी संस्थागत रिश्तों के लिए आधार स्थापित करना है।

अनुच्छेद- II

सहयोग के क्षेत्र

दोनों पक्ष अपने संबंधित देशों में इस विषय वस्तु से संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमों और समय-समय पर लागू राष्ट्रीय नीतियों के अध्यधीन अक्षय ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के प्रयास करेंगे। सहयोग के क्षेत्र, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेंगे, जैसे-

क) सौर ऊर्जा

ख) पवन ऊर्जा

ग) बायोमास/बायो ऊर्जा

घ) लघु पनबिजली

ङ) क्षमता निर्माण

अनुच्छेद- III

सहयोग की रूपरेखा

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग की निम्नलिखित रूपरेखा हो सकती है:

क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मियों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण;

ख) उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी एवं आंकड़ों का आदान-प्रदान;

ग) कार्यशालाओं, सेमिनारों और कार्य समूहों का आयोजन;

घ) पारस्परिक हित के विषयों पर संयुक्त अनुसंधान या तकनीकी परियोजनाओं का विकास; और

ङ) दोनों पक्षों द्वारा यथा निर्धारित अन्य रीतियां।

च)

अनुच्छेद- IV

संयुक्त कार्य दल

ऊपर वर्णित कार्यकलापों का समन्वय करने और नवीन तथा अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अभिकल्पन और विकास से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से दोनों पक्षों द्वारा एक "संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना की जाएगी जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे :-

क) नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों और उप-प्रणालियों, उपकरणों, संघटकों आदि के विकास हेतु परस्पर हित और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना;

ख) सहयोगात्मक कार्यकलापों का अनुश्रवण और मूल्यांकन करना; और

ग) दोनों पक्षों द्वारा लिखित में हुई सहमति के अनुसार कोई अन्य कार्यकलाप ।

घ)

दोनों पक्षों द्वारा उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए संयुक्त कार्यदल में एक-एक मुख्य और एक-एक वैकल्पिक प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा। संयुक्त कार्यदल द्वारा यथासंभव इलैक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से कार्य किए जाएंगे, लेकिन जब कभी आवश्यक समझा जाए, तो इसकी बैठक भारत और गुयाना में बारी-बारी से हो सकती है।

संयुक्त कार्यदल द्वारा वैज्ञानिक संस्थानों, अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य किसी संस्था से जब भी आवश्यक समझा जाए, दूसरे सदस्यों को सह-योजित किया जा सकता है ।

अनुच्छेद- V

वित्त–पोषण

प्रत्येक पक्ष इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत विचारित सहयोग के सभी कार्यक्रमों में तथा संयुक्त कार्य दल की बैठकों में, जब तक पक्षों द्वारा अन्य किसी रूप में सहमति न हुई हो, अपने खर्चों का वहन स्वयं करेगा।

अनुच्छेद- VI

विवादों का निपटान

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या अथवा अनुप्रयोग से संबंधित किसी विवाद का निपटान नियमित राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक विचार–विमर्श और/अथवा वार्ता द्वारा माध्यम से सौहार्दपूर्वक किया जाएगा।

अनुच्छेद- VII

संशोधन

इस समझौता ज्ञापन को पक्षों के बीच पत्रों के आदन-प्रदान के माध्यम से उनके द्वारा लिए गए पारस्परिक निर्णय से संशोधित, पुनरीक्षित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।

अनुच्छेद-VIII

आईएसए के अंतर्गत सहयोग

दोनों देश पैरिस, फ्रांस में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के पक्षों के 21 वें सम्मेलन के साथ-साथ दिनांक 30 नवंबर, 2015 को आरंभ किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सराहना और

सहयोग करते हैं और सौर ऊर्जा के विकास और संस्थापना में इस गठबंधन द्वारा अदा की जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हैं।

दोनों देश प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता, वित्त-पोषण, अनुसंधान और विकास तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर सौर ऊर्जा के त्वरित विकास और संस्थापना हेतु आईएसए के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे और आईएसए को एक सशक्त अंतर-सरकारी संगठन बनाने के लिए भी संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद-IX

लागू होना, अवधि और समापन

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा और पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए लागू होगा। तत्पश्चात यह समझौता ज्ञापन पक्षों की लिखित सहमति से नवीकृत हो जाएगा जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्ष इसे समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता है। इस प्रकार के निर्णयों को दूसरे पक्ष को इस समझौता ज्ञापन को समाप्त किए जाने से कम से कम तीन (3) माह पहले लिखित में परिचालित किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन को निरस्त किए जाने से इसके दायरे के अंतर्गत किसी चल रहे कार्यक्रम अथवा आरंभ की गई परियोजना की वैधता और अवधि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप, अधोहस्ताक्षरकर्त्ताओं, जिन्हें उनकी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है, द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष 2018 के 30th जनवरी दिन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में से प्रत्येक में दो (2) मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

.....

भारत गणराज्य के नवीन और
मंत्रालय की ओर से

.....

गुयाना कॉ-ऑपरेटिव गणराज्य के नवीकरणीय ऊर्जा
लोक अवसंरचना मंत्रालय की ओर से